डिकरी व मुकद्दमे इब्तदाई
(ऑर्डर 20 , रूल 6–7, जाब्ता दीबानी)
(Civil Procedure Code,Appendix D&1)

अज अदालत भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर मुकाम धौलपुर
व इजलास श्री अखिलेश कुमार पिपल (आर0ए0एस0)
प्रकरण संख्या:– अपील संख्या–79/2016 (223 आर.टी.एक्ट.)

1. जोतीराम
2. मुलुआ
3. रामदयाल
4. रामलक्षन

पिस0 झम्मन कौम कुम्हार निवासीगण नीमढाडा तहसील राजाखेडा।

....अपीलांट।

बनाम

1. रामखिलाडी पुत्र हरज्ञान
2. सीताराम पि0 नत्थी
3. गुड्डू

कौम माली निवासीगण देवखेडा तहसील राजाखेडा।

.....असल रैस्पोडेण्ट।

4. कालीचरन
5. पूरन
6. रामचित्र

पिस0 तुला कौम कोली निवासीगण देवखेडा तहसील राजाखेडा

7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजाखेडा।

.....तरतीवी रेस्पोडेंट।

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 21.01.2016 प्रकरण 66/2000 उनवान हरज्ञान बनाम जोतीराम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,राजाखेडा।

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी अपीलांट अभिभाषक श्री अश्वनी कुमार जैन अभिभाषक अपीलांट मिनजानिब मुदई व रेस्पोडेंट अभिभाषक अनुपस्थित पैरोकार सरकार मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजाखेडा के निर्णय व डिक्री दिनांक 21.01.2016 यथावत रखे जाते है। बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख.....31.....माह.....01.....सन्.....2022.....को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत.....31-01-2022.....

औहदा.....

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायलाह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील पर		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मीजान			मीजान		

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प धौलपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अखिलेश कुमार पिपल (आर0ए0एस0)

अपील संख्या :– 79/2016 (223 आर0टी0एक्ट0)
आरसीएमएस संख्या :– 2016/00171

उनवान

1. जोतीराम
2. मुलुआ
3. रामदयाल
4. रामलक्षन

} पिस0 झम्मन कौम कुम्हार निवासीगण नीमढाडा तहसील राजाखेडा।

.....अपीलाण्ट

बनाम

1. रामखिलाडी पुत्र हरज्ञान
2. सीताराम } पि0 नत्थी
3. गुड्डू

} कौम कोली निवासीगण देवखेडा तहसील राजाखेडा।

.....असल रैस्पोडेण्ट

4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजाखेडा।
5. कालीचरन
6. पूरन
7. रामचित्र

} पिस0 तुला कौम कोली निवासीगण देवखेडा तहसील राजाखेडा।

..... तरतीवी रैस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 21.01.2016 प्रकरण संख्या 66/2000 उनवान हरज्ञान बनाम जोतीराम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजाखेडा।

अभिभाषकगण :–

1. श्री अश्वनी कुमार जैन अभिभाषक अपीलाण्ट उपस्थित।
2. रैस्पो0 अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांक :–31.01.2022

1. यह अपील इस न्यायालय में उपखण्ड अधिकारी, राजाखेडा के निर्णय दिनांक 21.01.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी/असल रैस्पो0 ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध प्रतिवादी/अपीलाण्ट एवं तरतीवी रैस्पो0 इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी वाके ग्राम नीमडाडा के खातेदार काश्तकार तथा जोता सन् 1974 से वादीगण के पूर्व पुरूष भोला व गुट्टे पुत्रगण मूला थे। जिन्होने अपने जीवनकाल में विवादित आराजी पर स्वयं का स्वामित्व व आधिपत्य रखते हुये कृषि लगान अदा किये हैं। वादीगण के पूर्व पुरूष भोला अपने भाई

भू-प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
कैम्प-धौलपुर

गुट्टे के हक में विवादित आराजीयात एवं अन्य सम्पत्ति तर्क सकूनत करके देवखेडा में निवास करने लगे तथा गुट्टे की विवादित आराजीयात पर आधिपत्य व स्वामित्व धारण करते हुये काश्त करते रहे तथा उनकी मृत्यु उपरान्त उक्त आराजी पर वादीगण आधिपत्य धारण करते हुये काश्त करते चले आ रहे हैं। परन्तु प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 4 ने राजस्व कर्मचारियो से साज कर गलत तथ्यों के आधार पर विवादित आराजी का नामान्तकरण अपने हक में करा लिया। जबकि अनुसूचित जाति की भूमि पर किसी भी प्रकार से ऊँची जाति के लोगो के नाम नहीं की जा सकती है। अतः वाद प्रस्तुत कर उक्तानुसार डिक्री किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से डिक्री कर दिया। उक्त निर्णय से व्यथित होकर प्रतिवादी/अपीलाण्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेण्ट व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बाबजूद सूचना रैस्पो0 लगातार अनुपस्थित रहें। अतः उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाकर, बहस अपीलाण्ट एक पक्षीय सुनी गयी।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुये, बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों के सर्वथा विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत किसी भी दस्तावेजी साक्ष्य की ओर गौर नहीं किया है। विवादित आराजी साविक के खातेदार भोला थे एंव उन्होनें संवत 1994 से 2007 तक काश्त की बाद में उन्होनें काश्त करना छोड दिया। संवत 2007 से काश्त ग्याप्रससाद वगै0 की रही है। तत्तपश्चात् संवत 2012 से काश्त अपीलाण्ट के पूर्व पुरूष झम्मन की रही है एवं विवादित आराजी पर उनके शिकमी इन्द्राज संवत 2016 से दर्ज हुये हैं। अपीलाण्ट के पूर्वज झम्मन ने न्यायालय अतिरिक्त जिलाधीश धौलपुर के यहॉ कार्यवाही की गयी तथा आदेश दिनांक 01.04.1978 से स्व0 झम्मन के वारिसान अपीलाण्ट के नाम के इन्द्राजात दर्ज किये जाने की आज्ञा तहसीलदार राजाखेडा को दिया। उक्त निर्णय आज तक प्रभावी है एवं उक्त निर्णय को निरस्त करने का अधिकार अधीनस्थ न्यायालय को नहीं था। इसके अलावा न्यायालय अतिरिक्त जिलाधीश के उक्त निर्णय की वैधानिकता की जॉच तहसीलदार को दी गयी है, जो कानूनन संभव नहीं है। क्योंकि न्याय का यह सुस्थापित एवं सर्वमान्य विधिक सिद्धान्त है कि अधीनस्थ न्यायालय को अपने से उच्चतर न्यायालयो द्वारा दिये गये निर्देशो की चाहे वहे गलत ही क्यों ना हो अनुपालना करना आवश्यक व अनिवार्य है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिये गये उक्त आदेश स्पष्टतया अवैध अपोषणीय एवं अनुचित हैं। विवादित आराजी पर रैस्पो0 का कोई कब्जा काश्त भी नहीं है बल्कि अपीलाण्ट का कब्जा काश्त है। यह है कि विवादित आराजी भोला के नाम रही है जबकि वाद गुट्टे के वारिस लेकर आये हैं। तनकी संख्या 01 बहस वादीगण निर्णीत की गयी है ना कि बहक वादीगण। भोला के वारिसान ने अपीलाण्ट के हक में बयान दिया है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान ही नहीं दिया एवं ना ही लिखित बहस पर ही गौर किया। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश को निरस्त करने हेतु निवेदन किया।

भू-प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प-धौलपुर

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस अपीलाण्ट पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने इस वाद को तय करने हेतु अनुतोष सहित 10 तनकियॉ बनाई गयी हैं। जिनमें वादी के वाद को सिद्ध करने हेतु तनकी संख्या 01 व 02 महत्वपूर्ण तनकी हैं। तनकीवार विवेचन निम्न प्रकार है :–

5. <u>तनकी संख्या 01</u> **"आया विवादित आराजी वाद पत्र में पैरा संख्या 1(ए) तथा 1 (बी) में वर्णित के खातेदार काश्तकार काबिज वादीगण के पूर्वज भोला व गुट्टे पुत्रगण मूला थे, का वाद पर असर"** अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध जमाबन्दी संवत 2010 से 13 में वादीगण/रैस्पो० भोला पुत्र मूलू कौम कोरी निवासी देवखेडा नोतोड संवत 2008 निस्फ व गुट्टे पुत्र मूला कौम कोरी हिस्सा निस्फ 1/2 दर्ज है एवं गयाप्रसाद बल्द नन्दू कौम राजपूत निस्फ निवासी देवखेडा संवत 2007 भोला बल्द मूला कौम कोरी नोतोड दर्ज है। जिससे स्पष्ट कि विवादित आराजी पर वादीगण/रैस्पो० के पूर्वज खातेदार काश्तकार रहे हैं तथा गयाप्रसाद वगै० से वादीगण/रैस्पो० के पूर्वजो पर प्रकान्त हुई है। लिहाजा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य से स्पष्ट रूप से प्रमाणित है कि वादीगण/रैस्पो० के पूर्वजो का विवादित आराजी पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू हाने के पूर्व से कब्जा काश्त था। लिहाजा हम अधीनस्थ न्यायालय की इस तनकी विवेचना में कोई त्रुटि नहीं पाते हैं।

6. <u>तनकी संख्या 02</u> **"आया विवादित आराजी वर्णित वाद पत्र पैरा 1(ए) में प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 04 के नाम गलत इन्द्राज नामान्तकरण करा लिया है जो दुरूस्त कराकर वादीगण के नाम दर्ज कराने के अधिकारी हैं"** जैसा कि तनकी संख्या 01 की विवेचना में आ चुका है। वादीगण/रैस्पो० के पूर्वज राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के पूर्व से ही विवादित आराजी पर नोतोड दर्ज रहे हैं। प्रतिवादी/अपीलाण्ट विवादित आराजी पर स्वयं के नाम जरिये नामान्तकरण से आना कथन करते हैं। हमारी दृष्टि में नामान्तकरण एक फिसकल प्रक्रिया है एवं विधि अनुसार नामान्तकरण से किसी को खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते हैं। किसी व्यक्ति को खातेदारी अधिकारो का सृजन, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 13, 15, 19 से ही हो सकता है। इसके अलावा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 41, 42 अनुसार खातेदारी अधिकारों का हस्तांतरण केवल मात्र विक्रय, दान अथवा वसीयत से हो सकता है। प्रस्तुत प्रकरण में उक्त में से एक भी माध्यम नहीं हैं। अतः नामान्तकरण के आधार पर खातेदारी अधिकारों का हस्तांतरण अवैध व शून्य है। जहॉ तक अतिरिक्त जिला कलक्टर धौलपुर के निर्णय का प्रश्न है। अपीलाण्ट/प्रतिवादीगण द्वारा उक्त निर्णय ना तो अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया है एवं ना ही हस्तगत अपील के साथ ही प्रस्तुत किया है। अपीलाण्ट के पक्ष में विवादित आराजी बाबत् नामान्तकरण, अतिरिक्त जिला कलक्टर धौलपुर के आदेश क्रंमाक 300 दिनांक 01.04.1978 की पालना में खोला गया है। हमने उक्त आदेशो का भी अवलोकन किया उक्त आदेश संम्बधित तहसीलदार को जारी किया गया पत्र मात्र है। उक्त पत्र के आधार पर ही नामान्तकरण ग्राम पंचायत द्वारा खोला गया है, जिसमें किसी भी न्यायिक आदेश का जिक्र नहीं किया गया है। इसके अलावा नामान्तकरण की कार्यवाही सम्बन्धित तहसीलदार द्वारा होनी चाहिये थी। परन्तु नामान्तकरण की कार्यवाही सक्षम अधिकारी द्वारा नहीं की गयी है। लिहाजा नामान्तकरण विधि के प्रावधानो के पूर्णतः विपरीत एवं अवैध है तथा ऐसे अवैध नामान्तकरण का सहारा लेकर अपीलाण्ट विवादित आराजी में कोई खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी

भूप्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प–धौलपुर

नहीं होते हैं। इसके अलावा अपीलाण्ट ने विवादित भूमि के प्राप्ति के स्त्रोत नहीं बताया है एवं ना ही अति0 जिला कलक्टर का कथित निर्णय ही पेश किया गया है। हम अधीनस्थ न्यायालय के इस निष्कर्ष से भी पूर्ण सहमत हैं कि वादी/रैस्पो0 अनुसूचित जाति के व्यक्ति हैं जबकि अपीलाण्ट/प्रतिवादीगण सवर्ण जाति के व्यक्ति हैं। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में अनुसूचित जाति के व्यक्ति की आराजी पर सवर्ण जाति के व्यक्ति को कब्जे के आधार पर खातेदारी दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। उपरोक्त विवेचनानुसार अधीनस्थ न्यायालय की इस तनकी विवेचना में हम कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं।

7. <u>तनकी संख्या 03 लगायत 10</u> तनकी संख्या 01 व 02 के निष्कर्ष से ही प्रभावित होती हैं। अतः विवेचना किया जाना प्रासंगिक नहीं है।

8. <u>अनुतोष</u> :– समस्त तनकियात का निस्तारण किया जा चुका है। अपीलाण्ट अपने जिम्मे की किसी भी तनकी को सिद्ध करने में सफल नहीं हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त सभी तनकियों को तय करते समय, प्रत्येक तनकी पर कारण सहित उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य की पूर्ण विवेचना की जाकर, अपना निष्कर्ष अंकित करते हुए, अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। जिसमें हम हस्तक्षेप करना उचित नहीं पाते हैं। लिहाजा अपीलाधीन निर्णय तनकीवार तार्किक है। अतः हम अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य पाते हैं।

9. अतः आदेश है कि अपील अपीलण्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजाखेडा के निर्णय व डिक्री दिनांक 21.01.2016 यथावत रखें जाते हैं। पत्रावली फैशल शुमार की जाकर, नम्बर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हों। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख, निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावें।

10. निर्णय आज दिनांक 31.01.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

31-01-2022

(अखिलेश कुमार पिपल)
भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प धौलपुर